गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 164वीं बैठक दिनांक 27.09.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 164वीं बैठक दिनांक 27.09.2023 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
15.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
16.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
17.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक कार्यवाही प्रारंभ के पूर्व अपने प्रारंभिक उद्बोधन में सफलता एवं ऊंचे प्रतिमानों की स्थापना की राह में आने वाली अड़चनों का सामना करने में संघर्ष एवं संगठन की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 163वीं बैठक दिनांक 19.09.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 163वीं बैठक दिनांक 19.09.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 163वीं बैठक दिनांक 19.09.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 163वीं बैठक दिनांक 19.09.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 03. डॉ0 सूरज शर्मा, सह–प्राध्यापक, सीएसई को श्रीमती निशी यादव, सहायक प्राध्यापक का सह शोध निर्देशक बनाये जाने पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ0 सूरज शर्मा, सह–प्राध्यापक, सीएसई को श्रीमती निशी यादव, सहायक प्राध्यापक का सह शोध निर्देशक बनाये जाने अनापत्ति एवं अनुमति प्रदान की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शोध अध्ययन हेतु शोध निर्देशकों के अंतर्गत आबंटित होने वाले सीट संख्या के परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त यथोचित अनुशंसा प्रस्तुत कराने हेतु समिति गठित की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 04. न्यायालयिक विज्ञान विभाग में फॉरेंसिक क्लब की स्थापना के संबंध में विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि न्यायालयिक विज्ञान विभाग में फॉरेंसिक क्लब की स्थापना किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का आंशिक संशोधनों के साथ अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि क्लब की सदस्यता हेतु सदस्यता शुल्क का निर्धारण भी किया जाय।

विषय क्र. 05. अधिष्ठातागण की बैठक दिनांक 20.09.2023 के कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठातागण की बैठक दिनांक 20.09.2023 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय तथा कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं के अनुशंसानुसार श्रीमती ब्यूला नाथ को एम.टेक कार्यक्रम में प्रवेश लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

विषय क्र. 06. विश्वविद्यालय में जनजातीय पुस्तकालय की स्थापना के संबंध में विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि जनजातीय पुस्तकालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय तथा इस कार्य एवं व्यय हेतु 25–30 लाख रूपये धनराशि विश्वविद्यालय के आंतरिक श्रोतों से प्राप्त होने वाले आय से आबंटित किया जाय।

विषय क्र. 07. जनजातीय अध्ययन में मास्टर कार्यक्रम खोलने के लिए अनुरोध प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि जनजातीय अध्ययन की स्थापना संबंधी प्रस्ताव एवं प्रस्तुत स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने संबंधी यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति गठित किये जाने तथा सदस्यों के नाम नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 08. पर्यावरण शिक्षा को Under Graduate पाठ्यक्रमों में अंगीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि पर्यावरण शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रांप्त दिशा–निर्देशों को अंगीकृत कर लिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अधिष्ठाता, प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ एवं निदेशक, आई.क्यू.ए.सी., यूजीसी से प्राप्त दिशा–निर्देशों का अध्ययन कर यथोचित प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

27/09/2023 27/09/2023

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 बैठक के दौरान शारीरिक शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शारीरिक परीक्षण कराने संबंधी प्रस्ताव GGV-HUM (Healthy University Movement) प्रस्तुत किया। जिस पर स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इसे यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाय। इस हेतु समन्वयक मनोनीत करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाय।

प्रस्तुत विषय पर चर्चा के दौरान कुलपति महोंदय ने विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने एवं विश्वविद्यालय परिवर में कार्यालयीन समय के उपरान्त व्यायाम करने तथा पैदल चलने हेतु प्रेरित किया।

अ.अ.वि.क्र.2 बैठक के दौरान प्रॉक्टर एण्ड गैम्बल, सिविल सोसाईटी द्वारा 03 विभागों की छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई। स्थायी समिति ने छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी की सूचना ग्रहण की एवं इस हेतु किये गये प्रयासों की सराहना की।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इससे संबंधित सूचना विश्वविद्यालय वेब पटल पर भी अपलोड की जाय।

अ.अ.वि.क्र.3 परीक्षा शाखा द्वारा परीक्षा फार्म भराये जाने तथा इस प्रक्रिया में लागू विलम्ब शुल्क संबंधी प्रावधानों की जानकारी प्रस्तुत की गई एवं विद्यार्थियों को होने वाली समस्याओं के निराकरण के सुझाव प्रस्तुत किये गये।

स्थायी समिति ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

27/09/23 27/09/2023

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**